राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक : प.3(iv)/आ.कृ./लेखा/भौ.स.प्र./2014-15/ दिनांक :

निदेशक
राज्य कृषि प्रशिक्षण केन्द्र,
दुर्गापुरा, जयपुर।

संयुक्त निदेशक
कृषि, गुण नियंत्रण/(शष्य)ज.उ.प्र./
पौध व्याधि राज्य जैव उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला,
दुर्गापुरा, जयपुर।

संयुक्त निदेशक
कृषि (विस्तार), खण्ड
बीकानेर/भीलवाड़ा/श्रीगंगानगर/
जयपुर/जालौर/जोधपुर/कोटा/
सीकर/उदयपुर।

संयुक्त निदेशक
कृषि (तिलहन),
भरतपुर।

विषय : निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की अनुपालना भिजवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऑडिट कमेटी की बैठक दिनांक 16.08.2018 एवं इससे पूर्व की ऑडिट कमेटी बैठकों में भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों की अनुपालना लम्बी अवधि से बकाया होने तथा प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने को गम्भीरता से लिया जा रहा है, साथ ही बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र निस्तारण हेतु कैम्प आयोजन कराने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है, जिसके क्रम में बकाया आक्षेपों के निस्तारण हेतु निदेशक, निरीक्षण विभाग में दिनांक 08.10.2018 को कैम्प का आयोजन तय किया गया था किन्तु बकाया आक्षेपों की अनुपालनायें नहीं भिजवायी जाने से निर्धारित कैम्प को स्थगित कराना पडा। जो खेद जनक है।

अतः इस संबंध में आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों की बकाया समस्त आक्षेपों की अनुपालनाऐं तथा जिन प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना रिपोर्ट नहीं भिजवाई गयी है, की अनुपालनाऐं अपनी टिप्पणी सहित यथा समय निदेशक, निरीक्षण विभाग को भिजवाकर सूचनार्थ प्रति अनुपालना सहित इस कार्यालय को भी भिजवाने का श्रम करें। आप द्वारा वांछित अनुपालनायें उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर आप व्यक्तिशः उत्तरदायी होगें।

ह०
(ऋतु गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार, कृषि

क्रमांक : प.3(iv)/आ.कृ./लेखा/भौ.स.प्र./2014-15/ 1521 दिनांक : 27-6-2019

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, श्रीमान आयुक्त महोदय, आयुक्तालय, कृषि विभाग राज0 जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन), मुख्यालय जयपुर।
3. उप निदेशक/सहायक निदेशक, कृषि (वि0)/कृषि अनुसंधान अधिकारी ....को प्रेषित कर लेख हैं कि भौतिक सत्यापन के बकाया समस्त आक्षेपों की अनुपालना अविलम्ब संयुक्त निदेशक, कृषि कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
4. ACP को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय पत्र को कृषि विभाग की बेबसाइट पर उपलब्ध करावें।

वित्तीय सलाहकार, कृषि